न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : सुश्री पारीक, R.A.S.

GCMS/A/2019/00146

प्रकरण संख्या : 46/19

1. मांगीलाल आत्मज रामा जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम मुजनगर, तहसील कनवास, जिला कोटा — (प्रार्थी)

बनाम

1. रामबिलास आत्मज रामाजी, जाति मीणा, निवासी मकान नम्बर 223, सेक्टर-6, केशवपुरा, कोटा
2. लाडबाई पुत्री रामा जी पत्नी श्रीकिशन, जाति मीणा, निवासी ग्राम उदपुरिया, तहसील सीमलिया, जिला कोटा
3-4. कालूलाल, हेमराज आत्मज पांच्या, जाति मीणा
5-6. शीला उर्फ शीराम, काली पुत्रियाँ पांच्या, जाति मीणा
निवासीगण ग्राम मुजनगर, तहसील कनवास, जिला कोटा
7. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा — (अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक : 01.11.2021

उपस्थिति : श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक प्रार्थी
श्री ओमप्रकाश नागर एवं
श्री कुन्ज बिहारी नागर, अभिभाषक अप्रार्थी क्रम-1,2

निर्णय

1- प्रार्थी की ओर से मूल प्रार्थना के साथ जरिये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रदान करने अस्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि –

- ग्राम मलाना पटवार हल्का मन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 795 रकबा 4.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 796 रकबा 5.09 हैक्टर कुल 2 किता की 9.93 हैक्टर एवं ग्राम बालापुरा पटवार हल्का अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 5 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 91 रकबा 2.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 92 रकबा 3.18 हैक्टर कुल 3 किता की 6.09 हैक्टर आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खाते में दर्ज है।
- प्रार्थना पत्र की मद में वर्णित आराजी रामा, पांच्या विरासान नारायण जी के खातेदारी में दर्ज थी, जो रामजी, पांच्या जी के स्वर्गवास प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की।
- प्रार्थी व अप्रार्थीगण जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजाति में आती है जिनमें

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होकर उत्तराधिकार पुरानी हिन्दू विधि अनुसार शासित होते है। जिसमें पुत्र के रहते महिलाओ को कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। रामाजी व पांच्या जी के स्वर्गवास बाद विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1, 3, 4 के पुत्र होने के बाद भी बिना अधिकार व स्वमित्व के अप्रार्थी क्रम 2, 5 व 6 का भी नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कर दिया जो प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1, 3, 4 के हितों के विपरीत व विधि बाधित होने से गलत है। इस कारण अप्रार्थी 2, 5, 6 का नाम खाते में से हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

≈ प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की माता गोपाली बाई का दिनांक 02.06.2019 को प्रार्थी के पास रहते स्वर्गवास हो गया है। गोपाली बाई द्वारा प्रार्थी के पक्ष में ग्राम गलाना व ग्राम बालापुरा स्थित आराजी में निहित हिस्से की वसीयत दिनांक 15.04.2019 को आलेखित की जिसके आधार पर गोपाली बाई के स्वर्गवास बाद प्रार्थी खातेदार हो गया तथा प्रार्थी अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

≈ प्रार्थी ने अप्रार्थी क्रम 2, 5, 6 से खाते में से नाम हटाने की कहने पर इंकार कर दिया तथा अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा बिना अधिकार व स्वत्व के अपना हिस्सा अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में दर्ज करवा दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से प्रार्थी के हितों पर प्रभाव शून्य है।

≈ अप्रार्थी क्रम–2 की बिना जानकारी व सहमति के अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा ग्राम गलाना व ग्राम बालापुरा की आराजी के संबंध में षडयंत्र रचकर अप्रार्थी क्रम 2 के स्थान पर अप्रार्थी क्रम–1 ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है जिसमें अप्रार्थी क्रम–1 को कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी क्रम–2 से सम्पर्क करने पर अप्रार्थी क्रम–2 ने अप्रार्थी क्रम–1 के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग देने की जानकारी होने से मना कर दिया और कहा कि मेरे लिये दोनो भाई समान है, अपना हिस्सा देगी तो दोनों भाईयो को ही देगी। कानून में भी किसी एक भाई के हक में हिस्सा नही दिया जा सकता तो फिर एक को देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। मेरे को अप्रार्थी क्रम 1 ने नाम हटाने के लिये नही बताया। तब अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 से तुरन्त फोन पर भली बुरी कहा और कहा कि तुम बडे पद पर नौकरी करते हो फिर भी तुम्हारे द्वारा धोखाधडी कर मेरा नाम अपने पक्ष में हटा लिया जिसमें अप्रार्थी क्रम 2 की कोई सहमति व जानकारी नही है। तब अप्रार्थी क्रम 1 ने अपनी गलती हो स्वीकार किया।

≈ ग्राम गलाना व बालापुरा की आराजी पर अप्रार्थी क्रम 2, 5, 6 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और कानून के विपरीत नाम दर्ज किया है तथा रामाजी की आराजी पर हमेशा से प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 तथा पांच्या जी की आराजी पर अप्रार्थी क्रम 3 व 4 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, इस कारण अप्रार्थी क्रम 2,5,6 का नाम राजस्व रिकोर्ड में से हटाया जाकर रामाजी के हिस्से 1/2 पर प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 तथा पांच्या जी के हिस्से 1/2 पर अप्रार्थी क्रम 3, 4 का नाम दर्ज किया जाकर मौके पर काबिज काश्त अनुसार विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

≈ ग्राम गलाना, ग्राम बालापुरा स्थित आराजी का प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1,3,4 को

पांच्या

खातेदार घोषित कर अप्रार्थी क्रम 2,5,6 का नाम खाते में से हटाये जाने की डिक्री प्रदान किया जाना आवश्यक है जिसमें अप्रार्थीगण सहमत नही होने से प्रार्थी के लिये यह प्रार्थना प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

≈ यह कि बेलेन्स ऑफ कन्वीनियस एवं प्राईमाफेसाई केस प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी क्रम 2, 5, 6 ने वर्णित आराजी दर्ज नाम के आधार पर आराजी को खुर्द बुर्द कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति प्रार्थी को भविष्य में कभी भी नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थी को अनेकानेक प्रार्थना विप्रार्थनाों में उलझकर खर्चे से जेरबार होना पडेगा। अन्य कारण ववक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जावेगें।

≈ अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी क्रम 2, 5, 6 के विरूद्ध ता फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे ग्राम गलाना, तहसील लाडपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 795 रकबा 4.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 796 रकबा 5.09 हैक्टर व ग्राम बालापुरा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 5 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 91 रकबा 2.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 92 रकबा 3.18 हैक्टर को खुर्द बुर्द, रहन बेचान आदि नहीं करे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से ही करवावें।

3- अप्रार्थी क्रम 1, 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि –

~ प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवार के सजरे के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1, 2 की माता गोपाली बाई का स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार स्थित अराजी ग्राम गलाना में 2 किता की 9.93 हैक्टर व बालापुरा में 3 किता की 6.09 हैक्टर है लेकिन उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी के शामलाती खातेदारी में दर्ज आराजी का विभाजन मोके के अनुसार पूर्व में ही विभाजन करके उक्त आराजी पर अलग अलग काबिज है और प्रार्थी व अप्रार्थीगण अलग अलग काश्त कर रहे है।

~ प्रार्थी व अप्रार्थी जाति से मीणा व अनुसूचित जनजाति के होना स्वीकार है। भारत सरकार के राजपत्रित अधिनियम, 2005 के अनुसार पैत्रिक आराजी की सम्पत्ति में पुत्री को भी पुत्रों के समान अधिकार दिया गया है।

~ प्रार्थी व अप्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में विधि सम्मत व कानूनन व वारिसान की हैसियत से नाम दर्ज किये गये है जो सही है। प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की माता गोपाली बाई का स्वर्गवास होना स्वीकार है। गोपाली बाई द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत प्रार्थी के पक्ष में आलेखित नही की है। अप्रार्थी क्रम 2 के द्वारा अपने हिस्से की आराजी पर प्रार्थी के कहे अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड बनाया था और किसान क्रेडिट कार्ड की राशि प्रार्थी ने प्राप्त की थी जो प्रार्थी द्वारा आज दिन तक नही लोटायी है। प्रार्थी से प्रतिवादिनी ने किसान क्रेडिट कार्ड की राशि की मांग करने पर प्रार्थी ने प्रतिवादिनी क्रम 2 से बोलना व आना जाना बन्द कर दिया और कहा कि आज से तू मेरी बहिन नही है।

~ अप्रार्थी क्रम 2 ने अपनी सहमति व राजी खुशी से अपने हिस्से की कब्जे काश्त वाली आराजी का हक त्याग पत्र अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में दो गवाहान के समक्ष उपपंजीयन कार्यालय कोटा में उपस्थित होकर पंजीयन करवाया है जिसको प्रतिवादिनी क्रम 2 आज भी स्वीकार करती है। ग्राम गलाना व ग्राम बालापुरा की

आराजी पर रामाजी के स्वर्गवास के बाद से ही उनके वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादिनी क्रम 2 द्वारा हक त्याग करने के बाद प्रतिवादिनी क्रम 2 के हिस्से की आराजी पर अप्रार्थी क्रम 1 का कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 1 काबिज होकर काश्त कर रहा है। वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गयी प्रार्थना अस्वीकार है।

~ अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना सव्यय खारिज फरमाया जावे।

4- प्रकरण के बहस में आने पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी गई –

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम गलाना में खसरा नम्बर 795, 796 कुल 2 किता की 9.93 हैक्टर एवं ग्राम बालापुरा में खसरा नम्बर 5, 91, 92, कुल 3 किता की 6.09 हैक्टर आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजाति में आती है जिनमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होकर उत्तराधिकार पुरानी हिन्दू विधि अनुसार शासित होते है, जिसमें पुत्र के रहते महिलाओ को कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की माता गोपाली बाई द्वारा प्रार्थी के पक्ष में ग्राम गलाना व ग्राम बालापुरा स्थित आराजी में निहित हिस्से की वसीयत दिनांक 15.04.2019 को आलेखित की, जिसके आधार पर प्रार्थी अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा बिना अधिकार व स्वत्व के अपना हिस्सा अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में दर्ज करवा दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से प्रार्थी के हितों पर प्रभाव शून्य है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी क्रम–2 से सम्पर्क करने पर अप्रार्थी क्रम–2 ने अप्रार्थी क्रम–1 के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग देने की जानकारी होने से मना कर दिया और कहा कि मेरे लिये दोनो भाई समान है, अपना हिस्सा देगी तो दोनों भाईयो को ही देगी। कानून में भी किसी एक भाई के हक में हिस्सा नही दिया जा सकता तो फिर एक को देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। ग्राम गलाना व बालापुरा की आराजी पर अप्रार्थी क्रम 2, 5, 6 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। बेलेन्स ऑफ कनवीनियस एवं प्राईमाफेसाई केस प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी ने अपने दर्ज नाम के आधार पर आराजी को खुर्द बुर्द कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी क्रम 2, 5, 6 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे ग्राम गलाना की आराजी खसरा नम्बर 795, 796 कुल रकबा 5.09 हैक्टर व ग्राम बालापुरा की आराजी खसरा नम्बर 5, 91, 92 कुल रकबा 2.87 हैक्टर खुर्द बुर्द, रहन बेचान आदि नहीं करे।

अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1, 2 की माता गोपाली बाई का स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी के शामलाती खातेदारी में दर्ज ग्राम गलाना में 2 किता की 9.93 हैक्टर व बालापुरा में 3 किता की 6.09 हैक्टर आराजी का मौके के अनुसार पूर्व में ही विभाजन करके उक्त आराजी पर अलग

अलग काविज है और प्रार्थी व अप्रार्थीगण अलग अलग काश्त कर रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी जाति से मीणा व अनुसूचित जनजाति के होना स्वीकार है। भारत सरकार के राजपत्रित अधिनियम, 2005 के अनुसार पैतृक आराजी की सम्पति में पुत्री को भी पुत्रों के समान अधिकार दिया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में विधि सम्मत व कानूनन व वारिसान की हैसियत से नाम दर्ज किये गये है जो सही है। गोपाली बाई द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत प्रार्थी के पक्ष में आलेखित नही की है। अप्रार्थी क्रम 2 के द्वारा अपने हिस्से की आराजी पर प्रार्थी के कहे अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड बनाया था और किसान क्रेडिट कार्ड की राशि प्रार्थी ने प्राप्त की थी जो प्रार्थी द्वारा आज दिन तक नही लोटायी है। अप्रार्थी क्रम 2 ने अपनी सहमति व राजी खुशी से अपने हिस्से व कब्जे काश्त वाली आराजी का हक त्याग पत्र अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में दो गवाहान के समक्ष उपपंजीयन कार्यालय कोटा में उपस्थित होकर पंजीयन करवाया है जिसको प्रतिवादिनी क्रम 2 आज भी स्वीकार करती है। वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 अपने हिस्से पर काविज काश्त है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गयी प्रार्थना अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

5- हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र के कथनों पर मनन किया और पत्रावली उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :–

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है। इनमे से किसी एक का भी आभाव होने पर न्यायालय व्यादेश नहीं देगा।

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात जिस मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे, यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला कहा जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रस्तुत प्रकरण में हम पाते है कि ग्राम गलाना की आराजी खसरा नम्बर 795, 796 तथा ग्राम बालापुरा की आराजी खसरा नम्बर 9, 91, 92 प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन होने के पूर्व संयुक्त खाते की आराजी के प्रत्येक भाग पर सभी सहखातेदारान का समान हक व हिस्सा निहित होता है। प्रार्थनापत्र की प्रार्थना में प्रार्थी द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिये लागू पुराने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विवादित आराजी में दर्ज पुत्री वारिसान का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी पुत्र वारिसान के खाते दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली

के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी पूर्व में पक्षकारान के पूर्वजों के खाते दर्ज रही है। ऐसे में, यदि वे चाहते तो पुराने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कभी भी अपना नाम दर्ज करवा सकते थे अर्थात प्रार्थी के लिये यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि प्रार्थी को अभी पता चला ही है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की आराजी को खुर्द–बुर्द कर देगें। ऐसा है भी, तो प्रार्थी ने ऐसा होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। अप्रार्थीगण यदि चाहते, तो विवादित आराजी को कभी भी खुर्द बुर्द कर सकते थे, जबकि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो विवादित आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन विचाराधीन है। विभाजन होने तक संयुक्त खाते की आराजी पर समस्त सहखातेदारान का समान कब्जा निहित होता है। "मीणा" जाति के लिये निर्धारित प्रावधान अनुसार विवादित आराजी में पुत्री वारिसान का नाम हटाया जाना है अथवा नहीं, इस कथन का निर्धारण मूल प्रार्थना में साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निस्तारण पर ही संभव है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह केवल प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है।

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का सन्तुलन अपने पक्ष में होना, बताना पडेगा। इसके लिये प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिये उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम गलाना की आराजी खसरा नम्बर 795, 796 तथा ग्राम बालापुरा की आराजी खसरा नम्बर 9, 91, 92 प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन होने के पूर्व संयुक्त खाते की आराजी के प्रत्येक भाग पर सभी सहखातेदारान का समान हक व हिस्सा निहित होता है तथा संयुक्त खातेदारी की आराजी में प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा भी निहित माना जाता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर समान हक व हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार संयुक्त खातेदारी की आराजी में सभी सहखातेदारान का समान कब्जा व समान हक होने से सुविधा का सन्तुतन केवल प्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रत्येक सहखातेदार के पक्ष में है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिये अपूरणीय क्षति होगा। प्रस्तुत प्रकरण की विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी द्वारा पुराने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर प्रकरण के पक्षकारान के "मीणा" जाति के होने के कारण पुत्रियों का नाम हटाया जाकर उनके हिस्से में दर्ज आराजी को भाईयों के नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष, दावे में साक्ष्य आदि पेश होने के आधार पर निर्धारित किये जावेगें। वहीं अप्रार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णयों उल्लेख करते हुये निवेदन किया है कि पुत्रियों का भी पुत्रों के समान ही

अधिकार है। वैसे भी अप्रार्थीगण का विवादित आराजी को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द करने का कोई ईरादा नहीं है। देखा जाये तो कानूनन सभी सहखातेदारान को अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करने का एकसमान पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार किसी एक पक्षकार को अपूर्णीय क्षति होना संभावित नहीं है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

6- आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तो बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम गलाना व ग्राम बालापुरा की विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विधिसंगत तथ्य यही है कि विभाजन योग्य आराजी का विभाजन होने के पहले तक समस्त आराजी में सभी सहखातेदारान का समान अधिकार व कब्जा निहित माना जाता है। इस प्रकार किसी एक का हक व कब्जा मानकर इस प्रकरण का निर्धारण किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। प्रार्थी द्वारा पुराने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विवादित आराजी में दर्ज बहिनों के नाम हटाये जाने की सहायता चाही गई है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुत्रियों को दिये गये समान अधिकार के कथन को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। प्रार्थी के संभावित भय कि सहखातेदार कहीं उसके हिस्से की आराजी को खुर्द बुर्द नहीं कर दे, के बारे में विचार करने पर हम पाते है कि प्रकरण की विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से यह भय तो सभी सहखातेदारों के मन में व्याप्त हो सकता है। वैसे भी संयुक्त खातेदारी की आराजी होने से यह न तो किसी एक पक्षकार का प्रथम दृष्ट्या मामला है और न ही सुविधा का सन्तुलन किसी एक पक्षकार के पक्ष में है। इस प्रकार किसी एक पक्षकार को अपूरणीय क्षति होना भी संभावित नहीं है तथापि विवादित आराजी की घोषणा व विभाजन होने तक के लिये आराजी को खुर्द बुर्द होने से बचाने के लिये निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसंगत मानते है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद समस्त पक्षकारान के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 795, 796 तथा ग्राम बालापुरा की आराजी खसरा नम्बर 5, 91, 92 के रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। आराजी को किसी भी प्रकार (रीति) से खुर्द–बुर्द व हस्तान्तरित करने का प्रयास नहीं करें। अपने सहखातेदार की हिस्सा आराजी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मदालखत व मजाहमत नहीं करें। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को उक्त आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद हो।

6- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Parthvi

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा